/

19.09.21

# न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)

## RM वाद संख्या -08/2021-22

### छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)a

**ठाकुर भूतनाथ सिंह मुण्डा बनाम शिव सिंह मुण्डा**

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

| | |
|---|---|
| विक्रेता का नाम एवं पता – | ठाकुर भूतनाथ सिंह मुण्डा पिता–स्व० रघुनन्दन सिंह मुण्डा, ग्राम–सोनाहातु, पो०–सोनाहातु, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–मुण्डा, पेशा–खेती। |
| क्रेता का नाम एवं पता – | शिव सिंह मुण्डा पिता–स्व० सुखलाल मुण्डा, ग्राम–जिन्तु, पो०–सोनाहातु, थाना–सोनाहातु, राँची, जाति–मुण्डा, पेशा–नौकरी। |
| विद्वान अधिवक्ता का नाम – | श्री शिव शंकर महतो। |

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–08/05/2021 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत क्रेता शिव सिंह मुण्डा पिता–स्व० सुखलाल मुण्डा, ग्राम–जिन्तु, पो०–सोनाहातु, थाना–सोनाहातु, राँची, जाति–मुण्डा, पेशा–नौकरी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी हैः–

भूमि की विवरणी

| मौजा | थाना/थाना सं० | खाता सं० | प्लॉट सं० | रकवा |
|---|---|---|---|---|
| सोनाहातु | सोनाहातु/58 | 01 | 1823 | 20 डी०<br>चौहददीः–<br>उ०–रास्ता।<br>द०–चरण मुण्डा।<br>पू०–नीज विक्रेता।<br>प०–नीज विक्रेता। |

उक्त आवेदन के आलोक में अचंल अधिकारी, सोनाहातु से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, सोनाहातु का पत्रांक–548(ii) दिनांक–24/07/2021 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो कि निम्नवत है।

(1) प्रस्तावित जमीन के खयितानी रैयत जीरात मालीक नाम लगान पानेवाला ठाकुर रिदैय नाथ सिंह के नाम से दर्ज है।

(2) खतियानी रैयत/पंजी II रैयत के साथ विक्रेता का संबंध दादा–पोता का है।

(3) पंजी II के अनुसार रैयत का नाम मो० ठकुराईन बिन्दुमति है।

(4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2020–21 तक वसूली गयी है।

(5) जमाबंदी रैयत, विक्रेता के बड़ीमाता लगती है।

(6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन जीरात मालीक किस्म की है।

(7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात भी विक्रेता के पास जीवन यापन हेतु पर्याप्त भूमि बचता है।

(8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को मकान बनाने हेतु बिक्री कर रहे है।

(9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो आदिवासी जाति के सदस्य है।

(10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही थाना के अन्तर्गत आते है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, सोनाहातु ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत विक्रेता ठाकुर भूतनाथ सिंह मुण्डा पिता–स्व० रघुनन्दन सिंह मुण्डा, ग्राम–सोनाहातु, पो०–सोनाहातु, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–मुण्डा, पेशा–खेती, को क्रेता शिव सिंह मुण्डा पिता–स्व० सुखलाल मुण्डा, ग्राम–जिन्तु, पो०–सोनाहातु, थाना–सोनाहातु, राँची, जाति–मुण्डा, पेशा–नौकरी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक–08/05/2021 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नही की है।

अतः अंचल अधिकारी, सोनाहातु के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता ठाकुर भूतनाथ सिंह मुण्डा पिता–स्व० रघुनन्दन सिंह मुण्डा, ग्राम–सोनाहातु, पो०–सोनाहातु, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–मुण्डा, पेशा–खेती, को क्रेता शिव सिंह मुण्डा पिता–स्व० सुखलाल मुण्डा, ग्राम–जिन्तु, पो०–सोनाहातु, थाना–सोनाहातु, राँची, जाति–मुण्डा, पेशा–नौकरी, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा–46(i)a के तहत दी जाती है। तथा अवर निबंधक, बुण्डू/जिला अवर निबंधक, राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नही करेंगें।

| भूमि का विवरण | | | | |
|---|---|---|---|---|
| मौजा | थाना/थाना सं० | खाता सं० | प्लॉट सं० | रकवा |
| सोनाहातु | सोनाहातु/58 | 01 | 1823 | 20 डी०<br><br>चौहद्दीः–<br><br>उ०–रास्ता।<br><br>द०–चरण मुण्डा।<br><br>पू०–नीज विक्रेता।<br><br>प०–नीज विक्रेता। |

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता।
बुण्डू (राँची)।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता।
बुण्डू (राँची)।

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2022.03.09 14:18:02 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:2cb1:2bc4:62dc:a57c